



## न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं.

/ 2014 पुनरीक्षण

A- ५०७४- २१५

बैजनाथ मिश्रा पुत्र श्री राजाराम मिश्रा  
निवासी वार्ड नं. ९ पुरानी बस्ती खजुराहो  
तहसील राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... आवेदक

विरुद्ध

लोकनाथ तिवारी पुत्र रघुवर दयाल (मृतक)  
वारिश

1. संतोष कुमार पुत्र स्व. लोकनाथ तिवारी
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व. लोकनाथ तिवारी
3. राकेश कुमार पुत्र स्व. लोकनाथ तिवारी  
समस्त निवासीगण वार्ड नं. १४ पुरानी  
बस्ती खजुराहो, तहसील राजनगर, जिला  
छतरपुर (म.प्र.)
4. म.प्र. शासन

.... अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.)  
द्वारा प्र.कं. ०३/अ-१२/०९-१० में पारित आदेश दिनांक  
२१.१०.२०१४ के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता १९५९  
की धारा ५० के अंतर्गत पुनरीक्षण

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि :-

- 1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्ट्या ही निरस्त किये जाने योग्य है।
- 2- यह कि, वादग्रस्त भूमि ख.नं. 767 रकवा 2.429 हे. के पूर्व भूमिस्वामी लोकनाथ (मृतक) ने उक्त सर्वे नं. 767 में से अंश रकवा 0.202 हे. श्रीमती

- २८ -

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, गवालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4074-एक / 2014

जिला छतरपुर

बैजनाथ                    विरुद्ध                    लोकनाथ तिवारी मृत वारिसा आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
25-2-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत</p> <p>2. आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव उपस्थित।</p> <p>3. यह निगरानी तहसीलदार राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 03/अ-12/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 21-10-2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।</p> <p>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है।</p> <p>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 12-04-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये।</p> 	<p style="text-align: right;">(आरोक्ते जैन) 25/2/2019</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>